न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आगनवाडी अपील वाद– 42/2016

मंजू देवी बनाम कला देवी

आदेश

प्रस्तुत आंगनवाडी अपील अपीलार्थी मंजू देवी द्वारा बाल विकास परियोजना, सत्तरकटैया अन्तर्गत शाहपुर पंचायत के आंगनवाडी केन्द्र भेलाही टोला, केन्द्र संख्या– 82 के आगनवाडी सेविका पद से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 66–1 दिनांक– 02.05.2014 द्वारा अपीलार्थी के चयन को रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि बिना किसी वाद के दाखिल किये जाने और बिना अपीलार्थी से कारण–पृच्छा प्राप्त कर, बिना सुनवाई के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक– 02.05.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध न तो कोई इस न्यायालय में या आयुक्त के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में इससे पूर्व कोई वाद दाखिल किया गया है। अपीलार्थी भेलाही टोला वार्ड न0–6 जो सत्तरकटैया के शाहपुर पचायत अन्तर्गत आता हैं, की निवासी है। केन्द्र सख्या– 82 भेलाही टोला ग्राम पंचायत, शाहपुर के वार्ड नं0–6 से बना हैं। अपीलार्थी मध्यमा द्वितीय श्रेणी इन्टरमीडिएट प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है। केन्द्र संख्या– 82 के लिए निकाले गये विज्ञापन के तहत अपीलार्थी ने सेविका पद के लिए आवेदन किया। मेधा सूची तैयार की गयी। कला देवी को 59%, मंजू देवी 55.33%, रतन कुमारी 49.88% एवं सोनी कुमारी को 49.42% अंक था। मेधा सूची तैयार होने पर दिनांक– 20.11.2009 को आम सभा बुलायी गयी। आम सभा में रतन कुमारी का चयन दिनांक– 02.1.2009 को किया गया। कला देवी का चयन इसलिए नहीं किया गया कि उनके पिता जन वितरण प्रणाली दूकानदार थे। अपीलार्थी मंजू देवी ने जिलाधिकारी के समक्ष एवं अन्य पदाधिकारी को एक आवेदन दिया। जिलाधिकारी द्वारा दी गयी सूचना कि रतन कुमारी का चयन जिलाधिकारी के आदेश के विरूद्ध है पर कला देवी प्रमण्डलीय आयुक्त के पास गयी और प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा वाद रीमाण्ड कर जिला पदाधिकारी को सुनने के लिए भेज दिया। आगनवाडी वाद 33/2010 की सुनवाई के उपरान्त रतन कुमारी के चयन को रद्ध कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश में अपीलार्थी को चयनित किया गया, फलत अपीलार्थी योगदान कर प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्यरत हुई। प्रतिपक्षी कला देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 3262/2012 दायर किया गया, जो समाज कल्याण विभाग को भेज दिया गया। समाज कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के पत्रांक 60–08–2012– 2191/2512 द्वारा कहा गया कि कला देवी का चयन मार्गदर्शिका 2006 के आधार पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पिता जन वितरण प्रणाली विक्रेता है तथा सेविका का चयन 2010 के मार्गदर्शिका के आधार पर किया गया है, जबकि उस समय मार्ग दर्शिका 201 प्रभावी नही थी। इस तरह मंजू देवी के चयन को निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा सपुष्ट कर दिया गया तथा अपीलार्थी अद्यतन कार्यरत हैं। जब कला देवी ने माननीय उच्च न्यायालय में एम०जे०सी० 4623/2012 दायर किया जो अद्यतन लम्बित है, पर अचानक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बिना किसी वाद के दाखिल हुए और अपीलार्थी को सुने बिना दिनांक– 02.05.2014 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के चयन को रद्ध कर दिया, जो बिल्कुल अवैधानिक है। अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर तत्काल इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने एवं संबधित पक्षों को सुनकर अपीलार्थी के चयन को सम्पुष्ट करने की याचना की हैं।

प्रतिपक्षी कला देवी का कहना है कि अपील वाद में वर्णित तथ्य आधारहीन, मनगढंत एवं बनावटी होने के कारण ग्रहणीय नही है। अपीलार्थी का यह कथन कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा

4.5.17

बिना कोई वाद दर्ज किये बगैर और अपीलार्थी को सुने बगैर आदेश पारित किया गया है, जो गलत है। क्योंकि सचिव, समाज कल्याण विभाग का संचिका आई०सी०डी०एस० 50030/5(1)2012/2057 दिनांक– 25.03.2014 में निहित निदेश के अनुपालन में दिनांक– 02.05.2014 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रतिपक्षी का यह भी कहना है कि उक्त केन्द्र हेतु तैयार मेधा सूची में प्रतिपक्षी सबसे उपर थी। दिनांक– 20.11.2009 के आम सभा में यह कहते हुए कि इनके पिता जन वितरण प्रणाली दूकानदार हैं, जो मधेपुरा जिला के अन्तर्गत श्रीपुर पंचायत के डीलर है एवं प्रतिपक्षी शादी शुदा है, के आधार पर चयन से बंचित कर दिया गया। उक्त चयन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या– 3262/2012 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सचिव, समाज कल्याण विभाग को मामले की सुनवाई का आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया। इसके बाद प्रतिपक्षी ने माननीय उच्च न्यायालय में एम०जे०सी० संख्या– 4623/12 दाखिल की, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया, अपीलार्थी रतन कुमारी, अपीलार्थी मंजु देवी, प्रतिपक्षी कला देवी, आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सचिव, समाज कल्याण विभाग, पटना के समक्ष उपस्थित हुए। संबंधित पक्षकारों को सुनने के बाद सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा मार्गदर्शिका 2011 में संशोधन करते हुए आदेश पारित किया कि कला देवी के पिता स्व0 बलराम यादव, मधेपुरा जिलान्तर्गत श्रीपुर पंचायत के डीलर थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अतएव कला देवी को मात्र इनके पिता के दूसरे जिले में डीलर होने के कारण आगनवाड़ी सेविका पद पर चयन से बंचित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया। सचिव, समाज कल्याण विभाग के उक्त निदेश के अनुपालन में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर अपीलार्थी मंजु देवी का चयन रद्ध कर विपक्षी कला देवी कर चयन किया गया है, जो बिल्कुल नियमानुकूल हैं। अपीलार्थी का यह कहना कि उनका पक्ष नहीं सुना गया बिल्कुल भ्रामक है। चूँकि सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी पक्षकारों के साथ अपीलार्थी के पक्ष को भी सुना गया हैं। अग्रतर प्रतिपक्षी ने यह भी कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रतन कुमारी बनाम राज्य में सुनवाई कर जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 25.07.2015 को आदेश पारित कर निर्णित किया गया कि कला देवी का चयन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 661–2 दिनांक– 02.05.2014 द्वारा किया गया है, जो सही है और उसी मामले को लेकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील दाखिल की है, जो स्वतः खारीज योग्य हैं।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

पूर्व के न्याय निर्णयों, विभागीय निदेश तथा विभिन्न प्राधिकार के निर्णयों के आलोक में अपीलार्थी का अपील अस्वीकृत किया जाता हैं।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

7.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

7.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

ज्ञापांक 431-2 / विधि, सहरसा, दिनांक 09-03-2017 .

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस०, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

7.3.17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।